

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक झालावाड

क्रमांक-जिशा/मा/झा/संस्था-1/प्र.शा.सहा.111/2017-18/337

दिनांक 19/06/2018

कार्यालय- आदेश

श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक-शिविरा-माध्य /संस्था/एफ-1/12102/प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-111(लुज)/सी.भ./2016 दिनांक 19.6.2018 के अनुसार राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक भर्ती वर्ष 2016 के पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के पत्रांक प.17(15) शिक्षा-2/2014 दिनांक 19.12.2017 में अंकित बिन्दु संख्या-2(ए से एच) में अंकित शर्तों के अनुसार काउंसिलिंग में अनुपस्थित रहने पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-111 के पद पर दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशन ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-111 के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित एस.बी.सिविल याचिका संख्या-8555/2017,1152/2017,10421/2017 एवं विभिन्न याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल 08 में प्राधानानुसार 18500/-प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक/ विद्यमान वेतन देय होगा।

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्राधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे।

- 1- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में सेवारत हैं उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
- 2- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 7(1) डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/-रु0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
- 3- राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जाँच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्याधीन रहेगी। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/-के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गयी शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पायी गयी तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- 4- आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से नियुक्ति/उपस्थिति दिये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे। मिलान में कोई भिन्नता की स्थिति पायी जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवाये।
- 5- अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण-पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हो तो यह प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है। परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण-पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ हो प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापस लौटा दे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रमाण-पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को नियुक्ति/ कार्यग्रहण सम्बंधी कार्यवाही प्रदान करे।
यदि कोई अभ्यर्थी किमीलियर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।


कृ.पू.उ.

211-

- 6- पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने पर सूचना तुरन्त इस कार्यालय को भिजवावे ।
- 7- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही है इनके त्रुटि पूर्ण , जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर इनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
- 8- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 4.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (UNDERTAKING) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।


क्र० सं०	रोल नं०	मेरिट नं०	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्मतिथि	स्थायी निवास पता	वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
10	146740	765	दुष्यन्त गौतम	रमेश चन्द गौतम	16-9-90	5-सी-27 महावीर नगर III कोटा	GEN/OBC creamy/ sbc creamy	OBCM	राबाउमावि मनोहरथाना जिला झालावाड

इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 30.06.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा । दस्तावेज/सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवाये समाप्त की जा सकेगी । अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होने से दस्तावेजो का मिलान नहीं किया गया है अतः संस्था प्रधान आदेश में दिये गये निर्देशो के अनुसार ही दस्तावेजो का मिलान कर कार्यग्रहण करवाये ।



(सुरेन्द्र सिंह गौड)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक झालावाड
दिनांक 19/06/2018

- क्रमांक-जिशिअ/मा/झा/संस्था-1/प्र.शा.सहा.111/2017-18/337
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
- 1-शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा राजस्थान जयपुर ।
 - 2-शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2)/कार्मिक(ग्रुप-2)विभाग राजस्थान जयपुर ।
 - 3-निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान-बीकानेर ।
 - 4-सचिव राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर ।
 - 5-उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग कोटा ।
 - 6-संबंधित संस्था प्रधान उमावि/मावि..... ।
 - 7-संबंधित आशार्थी ।
 - 8-रक्षितपत्रावली ।



(सुरेन्द्र सिंह गौड)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक झालावाड

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ज्ञालावाड

क्रमांक-जिशाअ/मा/ज्ञा/संस्था-1/प्र.शा.स.आ/2017-18/336

दिनांक 19/06/2018

कार्यालय- आदेश

श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक-शिविरा-माध्य /संस्था/एफ-1/12102/प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III(लूज)/सी.म./2016 दिनांक 19.6.2018 के अनुसार राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक भर्ती वर्ष 2016 के पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के पत्रांक प.17(15) शिक्षा-2/2014 दिनांक 19.12.2017 में अंकित बिन्दु संख्या-2(ए से एच) में अंकित शर्तों के अनुसार काउंसलिंग के उपरान्त संलग्न सूचीनुसार अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड ग्रेड-III के पद पर दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशन ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित एस.बी.सिविल याचिका संख्या-8555/2017,1152/2017,10421 /2017 एवं विभिन्न याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल 08 में प्राक्धानानुसार 18500/-प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक/ विद्यमान वेतन देय होगा।

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्राक्धानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे।

- 1- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्रसंबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में सेवारत हैं उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
- 2- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 7(1) डीओपी/ए-III/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/-रु० के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
- 3- राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जाँच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अधीन रहेगी। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/-के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गयी शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पायी गयी तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- 4- आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से नियुक्ति/उपस्थिति दिये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे। मिलान में कोई भिन्नता की स्थिति पायी जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवाये।
- 5- अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण-पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हो तो यह प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है। परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण-पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ हो प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापस लौटा दे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रमाण-पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को नियुक्ति/ कार्यग्रहण सम्बंधी कार्यवाही प्रदान करे।
यदि कोई अभ्यर्थी किमीलियर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।


कृ.पू.उ.

५१

- 6- पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने पर सूचना तुरन्त इस कार्यालय को भिजवावे ।
- 7- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही हैं इनके त्रुटि पूर्ण , जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर इनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा ।
- 8- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमोंक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 4.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (UNDERTAKING) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।


इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 30.06.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा । अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवाये समाप्त की जा सकेगी ।

संलग्न सूची पृष्ठ 1


(सुरेन्द्र सिंह गौड़)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक झालावाड
दिनांक 19/06/2018

क्रमांक-जिशिअ/मा/झा/संस्था-1/प्र.शा.सा.गा/2017-18/336
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा राजस्थान जयपुर ।
- 2-शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2)/कार्मिक(ग्रुप-2)विभाग राजस्थान जयपुर ।
- 3-निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान-बीकानेर ।
- 4-सचिव राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर ।
- 5-उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग कोटा ।
- 6-संबंधित संस्था प्रधान उमावि/मावि..... ।
- 7-संबंधित आशार्थी ।
- 8-रक्षितपत्रावली ।


(सुरेन्द्र सिंह गौड़)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक झालावाड


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक झालावाड

प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-11A भर्ती वर्ष 2016 के पदों पर सामान्य क्षेत्र से चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग उपरान्त पदस्थापन आदेश

क्रमांक-जिशाअ/मा/झा/संस्था-1/प्र.शा.स.11A/2017-18/336

दिनांक 19/06/2018

क्र०सं०	रोल नं०	मेरिट नं०	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्मतिथि	स्थायी निवास पता	वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थान स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	596286	2373	चिंकी रानी पुष्पक	बृजमोहन पुष्पक	18-10-1992	बी.ई.ई.ओ. पंचायत समिति कोलोनी खानपुर जिला झालावाड	OBC NON CREAMY	OBC F	राउमावि दहीखेड़ा
2	473708	3689	कविता बाकोलिया	लक्ष्मण कुमार बाकोलिया	15-10-1995	रेगर बस्ती सुजानगढ़ जिला चुरू	SC	SC F	राआउमावि रायपुर
3	589390	1317	ताहिर हुसैन	मोहम्मद उस्मान	05-7-1981	पुरानी मस्जिद के पास वार्ड नं. 9 अन्ता जिला बारों	OBC NON CREAMY	OBC M	राआउमावि मोड़ीभीमसागर
4	658162	1318	पूनम चन्द पाटीदार	बलराम पाटीदार	14-5-1981	गाँव पो. दीवलखेड़ा तहसील पिड़ावा जिला झालावाड	OBC NON CREAMY	OBC M	राउमावि सुनेल
5	607645	1319	मुकेश गौड़	कन्हैयालाल	03-5-1984	1-ई-14, महावीर नगर एक्सटेंशन कोटा	OBC NON CREAMY	OBC M	राबाउमावि अकलेरा
6	403027	1320	कपिल देव	रामरतन	26-1-1985	चेक 3 एमएसडी पो. डाबला रायसिंहनगर, डाबला, श्रीगंगानगर	OBC NON CREAMY	OBC M	राउमावि बोरबन्द


(सुरेन्द्र सिंह गौड़)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक झालावाड